

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 854

जिसका उत्तर 7 फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

18 मार्च, 1945 (शक)

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास

854. श्रीमती रंजीता कोली:

डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का प्रमुख निर्यातक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्कों और डाटा केंद्रों सहित डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के क्षेत्र में पिछले दशक के दौरान सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का किस प्रकार सुधार होगा?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें पूरे देश में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) के 63 केंद्रों की स्थापना करना शामिल है जिनमें से 54 केंद्र टीयर-III/IV शहरों में स्थित हैं। ये एसटीपीआई केंद्र आईटी/आईटीईएस उद्योग/स्टार्ट-अप/उद्यमियों को प्लग-एन-प्ले सुविधा, केंद्रीकृत कंप्यूटिंग और हाई-स्पीड डेटा संचार सहित अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। सरकार एसटीपीआई के माध्यम से सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना कार्यान्वित कर रही है, जो व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात सहित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास और निर्यात के लिए 100% निर्यातोन्मुखी योजना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सतत विकास, नए रोजगार और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को संपूरित करने के लिए एक जीवंत सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने हेतु सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति (एनपीएसपी) तैयार की है। पूरे भारत में आईटी स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटरकनेक्ट करने के लिए 'एमईआईटीवाई स्टार्ट-अप हब' (एमएसएच), एक नोडल इकाई की स्थापना की गई है। एमएसएच

इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप्स को उनकी मापनीयता, बाजार आउटरीच आदि में सुधार करने में सहायता कर रहा है और इसने नवाचार और तकनीकी प्रगति पर निर्मित अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने वाले विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी भी स्थापित की है। सरकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति बनाने का प्रयास रहा है, जिसमें अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के अंतर्गत एफडीआई के लिए खुले हैं। वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, लागू कानूनों/विनियमों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्यक्षीन स्वचालित मार्ग (भारत के साथ भू-सीमा साझा करने वाले देशों को छोड़कर) के तहत आईटी क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है। उभरती प्रौद्योगिकियों में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमिता के विभिन्न केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(ख): जी हाँ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नेस्कॉम) के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय आईटी उद्योग का अनुमानित निर्यात राजस्व 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत विश्व के उद्यमों, सरकारों और उपभोक्ताओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी/आई टी ई एस तथा अन्य प्रौद्योगिकी सेवाओं में एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय देश के रूप में उभरा है।

(ग): सरकार ने डिजिटल अभिगम, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल विभाजन को खत्म करना सुनिश्चित करके भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क और डेटा केंद्रों सहित डिजिटल समाधान और बुनियादी ढांचे के विस्तार में महत्वपूर्ण माइल स्टोस हासिल किए गए हैं। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान) स्थापित किए गए हैं। गुवाहाटी, असम में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनडीसी-एनईआर) में राष्ट्रीय डेटा केंद्र सहित कई राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित किए गए हैं जो सभी आठ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए डेटा सेंटर हब के रूप में कार्य करेंगे। इसके साथ ही, 86 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(घ) और (ङ): सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतनेट परियोजना के अंतर्गत सृजित अवसंरचना एक राष्ट्रीय संपत्ति है, जिस तक सेवा प्रदाताओं को भेदभाव रहित आधार पर पहुंच प्राप्त है और इसका उपयोग, जैसे वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाइन्स, डार्क फाइबर, बैकहॉल टू मोबाइल टावर, आदि जैसी ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। सरकार ने अगस्त 2023 में 2,64,554 ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दी है जिसमें मौजूदा यानी 2,10,190 जीपी शामिल हैं जो पहले से ही सेवा के लिए तैयार हैं।
